

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक प. 04(04)ज0स0/2018

जयपुर दिनांक : 30.09.2019

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.03.2019 के क्रम संख्या 33 एवं 34 पर अंकित सहायक अभियन्ता श्री जगदीश चन्द्र कटारिया एवं श्री रामरख के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव निरस्त किये जाते हैं।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

आज्ञा से

—

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0 जयपुर।
- 2-निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
- 3-मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करावें।
- 4-सम्बन्धित अधिकारी मार्फत मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
- 5-रक्षित पत्रावली।

30/09/2019
(पी.सी.नामा)

सहायक शासन सचिव

APY
30/09/19.

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ(1)स्थाना/अनिस/अअप्रास/मुअजसं/2019/126

दिनांक: 30.09.2019

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.04(04)जसं/2018 दिनांक 30.09.2019 की प्रति निम्नलिखित को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित कार्यालयों/अधिकारियों को अपने स्तर पर उपलब्ध कराते हुये पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें:-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़।
3. उप निदेशक, (एम आई एस) एस. पी. एम. यू. एन एच पी, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. अधिशाषी अभियन्ता (प्रथम), कार्यालय हाजा।
5. श्री जगदीश चन्द्र कटारिया/श्री रामरख, सहायक अभियन्ता।
6. स्थापन अनुभाग-प्रथम, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

(जितेन्द्र दीक्षित)

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा0सहा
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग
राजस्थान, जयपुर।